3/5/24 वकुलाप अप्रा प्रतिवादीस. 2,3,4 की ओर से श्री अजय कुमार शर्मा एड0 ने वकालतनामा व जवाब प्रार्थना पेश किया। शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादी सं. 5,6 के वकालतनामा व जवाब हेतु अवसर चाहा। पत्रावली वास्ते तामील अप्रार्थी सं. 7,8,9,10 हेतु दिनांक 14/6/2024 को पेश हो।

14/6/24 पत्रावली पेश हुई। वकुलाप उपस्थित। PO साहब दीगर कार्य में व्यस्त है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 16/7/24 को पेश हो।

16/7/24 वकुलाप उप0। अप्रा अप्रार्थीगण की तलबी हेतु जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलबाना पेश करें। पत्रावली दिनांक 31/7/24 को पेश हो।

31/07/2024 पत्रावली पेश हुयी। अप्रार्थी सख्या 7 ता 10 की तामिल जरिये रजिस्टर्ड डाक से सम्यक रूप से होना पायी जाती है। बावजूद सम्यक तामिल अनुस्थित। अतः एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जाती है। बहस उभय पक्ष सुनी गयी। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र मे अंकित तथ्यों को दोहरान करते हुए कथन किया था कि मुताबिक सीमाज्ञान पत्थरगढी के आदेश पारित किये जावे। वकील अप्रार्थी ने आपत्ति जाहिर कर निवेदन किया कि समस्त खातेदारन की उपस्थिति में पुनः सीमाज्ञान कर पत्थरगढी की जावे। बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध प्रार्थना पत्र, राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। जिससे जाहिर है कि वादग्रस्त भूमि मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी संवत 2075-2078 राजस्व ग्राम बिहारीपुर पटवार हल्का बिहारीपुर तहसील पाटन भूमि खसरा नं. 1049 कुल रकबा 1.27 हैक्ट0 प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी भूमि है। अतः प्रार्थीगण व पड़ौसी खातेदारान को सूचित कर बाद सम्यक संतुष्टि मुताबिक सीमाज्ञान पत्थरगढी किया जाना न्यायोचित है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी बाबत् पत्थरगढी स्वीकार किये जाने योग्य है।

(राजवीर सिंह यादव)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (राज.)

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

आदेश

प्रा0 पत्र 297 / 2019
निर्णय दिनांक 31.07.2024

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर तहसीलदार पाटन को आदेशित किया जाता है कि राजस्व रिकॉर्ड राजस्व ग्राम बिहारीपुर पटवार हल्का बिहारीपुर तहसील पाटन भूमि खसरा नं. 1049 कुल रकबा 1.27 हैक्ट0 प्रार्थीगण व पडौसी खातेदारान को सूचित कर उनकी उपस्थिति में पुनः सीमाज्ञान कर बाद सम्यक संतुष्टि सीमाज्ञान पत्थरगढी की जावे। दौराने पत्थरगढी किसी प्रकार का कब्जा दिलवाने अथवा बेदखली की कार्यवाही नहीं की जावें। तहसीलदार पाटन को इस हेतु तहरीर जारी हो। पत्रावली बाद फैसल शुमार नम्बर से कम होकर दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

(राजवीर सिंह यादव)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2025.03.26 11:33:09 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner